प्रधानमंत्री जन धन योजना

samanyagyan.com/hindi/gk-pradhan-mantri-jan-dhan-yojana

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) क्या है और इसकी शुरूआत कब हुई थी?

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन अर्थात समाज पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएँ (बैंकिंग/ बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन) प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जन धन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। इस योजना के शुरू होने के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता धारक को एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर एवम एक रूपए डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गयी थी।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के प्रमुख उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गयी यह योजना गरीब लोगों को पैसा बचाने में सक्षम बनाती है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले जाते है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएँ (Features of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna in Hindi):-

- **दुर्घटना जीवन बीमा सुविधा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए सभी खाता धारको (Account Holders) को तीन हजार रूपए का दुर्घटना बीमा का प्रदान दिया जायेगा।
- **ऋण (लोन) सुविधा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाले खाता धारको को लोन की सुविधा भी मुहैया करायी जाएगी। खाता धारक खाता खुलवाने के 6 माह बाद बैंक से 5000 रूपये तक का लोन भी ले सकते हैं। यह सुविधा गरीबो को साहूकार के प्रकोप से बचाएगी तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
- **मोबाइल बैंकिंग सुविधा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते के खाता धारक को मोबाइल बैंकिंग सुविधा सामान्य मोबाइल फोन में दी गई हैं, जिसके ज़रिये वो अपने खाते की पूरी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकता हैं।
- **रूपये डेबिट कार्ड सुविधा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते के खाता धारक को रूपये डेबिट कार्ड की सुविधा भी दी जाती है, जिसे वह एक एटीएम की तरह प्रयोग कर सकते है। इस योजना के मुख्य धारक गरीब लोग हैं जो इस रूपये डेबिट कार्ड का उपयोग करेंगे, जिससे यह प्रणाली केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहेगी और भारत की अधिक से अधिक जनता कार्ड के जरिये एक केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली से जुड़ेगी।

- **ज़ीरो बैलेंस सुविधा:** प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गतखाते शून्य राशि पर भी खोले जा रहे है, जिन्हें जीरो बैलेंस सुविधा कहा जाता हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बैंक में खाता खुलवाते है तो उसमे न्यूनतम राशि जमा करनी होती हैं यह बैंक पर निर्भर करता हैं कि न्यूनतम राशि क्या हैं, परन्तु प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज: (Important Document (Eligibility criteria) for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna)

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए यदि आपके पास आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है, तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड।
- अगर किसी नागरिक के पास भारत का नागरिक होने के कोई उपयुक्त प्रमाण नहीं हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करके कम जोखिम (Low Risk) श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन खाता खोला जायेगा जो कि एक साल तक वेलिड रहेगा जब तक धारक को कोई उचित दस्तावेज बैंक में जमा करवाना होगा।
- अगर किसी नागरिक के पास कोई भी परिचय पत्र राजपत्रित अधिकारी (गजेटेड ऑफिसर) से सत्यापित हो तो वह प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाता खोल सकता हैं।
- अगर किसी नागरिक का पहले से ही बैंक खाता हैं तो वह अपने खाते को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत स्थानांतरित (Transfer) करवा सकता हैं और इस योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ ले सकता हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ: (Benefits of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna in Hindi)

- इस योजना के तहत खाता धारक को जमा राशि पर ब्याज की प्राप्ति होती है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खाता धारक को 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।
- इस योजना के तहत खाते में कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रु० 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों को पूरा करते ही मिल जाता है।
- इस योजना के तहत देश भर में धन का आसानी से आदान-प्रदान सरलतापूर्वक किया जा सकेगा।
- इस योजना के तहत खाता धारको को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे खातों में प्राप्त होंगे।
- छः माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के आने बाद सभी गरीब लोगों की पेंशन तथा बीमा उत्पादों तक आसानी से पहुंच हो जाएगी।

प्रधानमंत्री जन धन योजना से गरीबों के जीवन में सूतखोर साहूकारों की भागीदारी कम होगी और गरीब सीधे बैंक से जुड़ेंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर गरीब लोग बैंक से धन राशि भी से उधार ले सकते है, वो भी मामूली ब्याज पर। जिससे वह साहूकारों के झमेले में फसने से बच जायेंगे।

प्रधान मंत्री जन धन योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट 2021 – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) latest updates 2021

> सरकार ने 08 फरवरी 2021 को बताया की प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत कुल 41.75 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 35.96 करोड़ खाते ऑपरेटिव हैं।